संख्याः 267/XII/2009/83(01)/2000–TC

प्रेषक,

डा0 दिलबाग सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज एवं ग्रा0 अभि0 सेवा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक, 31 जुलाई, 2009।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु बचनबद्ध मदों की धनराशि अवमुक्त करने विषयक।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 515/XXVII (1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 एवं संख्या 517/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 तथा शासनादेश संख्या 118/XII/2009/83(01)/2008–TC दिनांक 13 अप्रैल, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उत्तराखण्ड कार्यालय (मुख्यालय) अधिष्ठान हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष की बचनबद्ध मदों यथा– वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मजदूरी, विद्युत देय, जलकर, किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पैट्रोल, टेलीफोन आदि आवश्यक मदों हेतु उल्लिखित विभिन्न बचनबद्ध की मानक मदों में (1 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लिए लेखानुदान की धनराशि को सम्मलित करते हुए) प्राविधानित धनराशि रू0 184715 हजार (रू0 अठारह करोड़ सैंतालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की निम्नशर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

लेखाशीर्षक– .	धनराशि (हजार रूपये में)	
2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2009–10	
800–अन्य व्यय	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
03 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा		
1	2	3
01– वेतन		123440
02– मजदूरी		780
03– मंहगाई भत्ता		35000
04– यात्रा व्यय		1000
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय		400

06– अन्य भत्ते		18400
07– मानदेय		0
08– कार्यालय व्यय		1000
09– विद्युत व्यय		370
10– जलकर/जल प्रभार		160
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		200
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		300
13– टेलीफोन पर व्यय		450
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय		–
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद		1000
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		–
17– किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व		715
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति		500
42– अन्य व्यय		–
44– प्रशिक्षण व्यय		300
45– अवकाश यात्रा व्यय		500
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		100
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		100
48– मंहगाई वेतन		–
योग–03		184715

(रू0 184715000.00 रू0 अठारह करोड़ सैंतालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)

2– आयोजनेत्तर पक्ष की अवचनबद्ध मदों/शीर्षकों के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृत्तियॉ निर्गत करने एवं धनराशि निवर्तन पर रखने के लिए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनुवार्य होंगा।

3– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2009–10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो आय–व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जाय।

4– बिना वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है, तथा पूँजीगत पक्ष से राजस्व पक्ष में तथा राजस्व पक्ष से पूंजीगत पक्ष में भी पुनर्विनियोग प्रतिबन्धित है।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– वित्तीय स्वीकृतियॉ के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0–13 पर नियमित रूप से सूचना उपलब्ध करयी जाय।

7– जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय।

8– बजट नियंत्रक अधिकारी बी0 एम0–17 पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनेत्तर की धनराशियाँ पूर्व निर्गत शासनादेश के क्रम में जारी करेंगे। अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। जिसके लिए सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

9– विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह की स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए तत्सम्बन्धी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10– जिन योजनाओं में विगत वर्ष की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो, में विभागाध्यक्ष का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

11– मित्तव्यतिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12– निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31–3–2010 तक करते हुए अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–03 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28, जुलाई, 2009 द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(डा0 दिलबाग सिंह)
सचिव।

संख्याः 267 (1)/XII/2009/83(01)/2000–TC तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0पी0 एस0 गुसाई)
अपर सचिव।